राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रं : प.6(9) / नि.चि.शि. / एके. / 2012 / 828   जयपुर, दिनांक : 06/6/2014

आदेश

आर.पी.एम.टी. 2014 के आयोजन में कथित अनियमितताओं के संबंध में जाँच हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की एक जाँच समिति गठित की जाती है :–

1. डॉ0 राजेश शर्मा, आचार्य, निश्चेतन विभाग, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर। — अध्यक्ष
2. डॉ0 आर.के.मनोहर, आचार्य, पी.एस.एम.विभाग, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर। — सदस्य
3. डॉ0 जगदीश चौधरी, आचार्य, एनाटोमी विभाग, झालावाड़, मेडिकल कॉलेज, झालावाड़। — सदस्य
4. श्री तपन कुमार, उप निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। — सदस्य

यह समिति निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी :–

1. आर.पी.एम.टी. 2014 आयोजित करवाने के लिये राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्र तैयार करवाने हेतु संस्थाओं / महाविद्यालयों के चयन / चिन्हीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा।
2. आर.पी.एम.टी. 2014 हेतु Online परीक्षा करवाने की प्रक्रिया की समीक्षा।
3. आर.पी.एम.टी. 2014 के प्रश्न पत्रों का हिन्दी रूपान्तरण करने की प्रक्रिया की समीक्षा।
4. आर.पी.एम.टी. 2014 के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों तथा उत्तरों के सही होना सुनिश्चित करने / moderation की प्रक्रिया की समीक्षा।
5. आर.पी.एम.टी. 2014 की different batches में आयोजित परीक्षा के परिणामों के समानीकरण हेतु equipercentile मापने की प्रक्रिया की समीक्षा।

यह समिति अपनी रिपोर्ट तथा recommendations शुक्रवार, दिनांक 13 जून 2014 तक आवश्यक रूप से चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करेगी।

(धन्ना लाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, माननीय कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. डॉ० डी.के.गुप्ता, संयोजक आर.पी.एम.टी. 2014।
7. अति. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
8. प्रधानाचार्य, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
9. डीन, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, झालावाड़।
10. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) विभाग।
11. सम्बन्धित अधिकारीगण..
12. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव